मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
CIN: U40109MP2001SGC014880
रजिस्टर्ड आफिस : ब्लाक नं. 2 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फैक्स:(0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in,

क्रमांक अस / एमपीपीटीसीएल / क.अ. / 2034 दिनांक 20.06.2016

परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7–54 / 81 / 1 / ह.आ.से. दिनांक 28.8.1981 एवं एफ–1–5 / 1 / आ. / प्र. / 91 दिनांक 22.1.1991 के द्वारा अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से शासन के समस्त स्तर के कार्यालयों में समय–समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्यवाही हेतु शिकायतों का इन्द्राज करने के लिये एक शिकायत पंजी रखे जाने बाबत् दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसका प्रारूप निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

अनूसूचित जाति /अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों से संबंधित पंजी

कार्यालय / विभाग का नाम..

क्र.	अनुसूचित जातियों / जनजातियों के व्यक्ति का नाम तथा पता	विभाग में शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	शिकायत का विषय	शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण	लिये गये निर्णय का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

उक्त परिपेक्ष्य में आवश्यक है कि कंपनी के अनूसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही हेतु पृथक से शिकायत पंजी मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही रखी जावे, जिससे समय–समय पर उसका निरीक्षण कर इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि हर शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही मुस्तैदी के साथ की जाती है।

उक्तानुसार कंपनी के समस्त स्तर के कार्यालयों में उपरोक्त प्रारूप में शिकायत पंजी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

राज्य शासन के पत्र क्र. एफ 6–12 / 2003 / 1 / 9 दिनांक 12.06.2003 में वर्णित है कि अनूसूचित जाति / अनूसूचित जनजाति के कर्मचारी संघों से प्राप्त स्थानान्तर आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं उन्हे की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे। इस निर्देश का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

कंपनी के आदेश क्र. 2846 दि. 22.11.2009 के द्वारा कंपनी में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों के की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु गठित फास्ट ट्रेक एक्शन कमेटी का प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जावे।

Shilpa
20/6

WB
for n.a.

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

क्र: अस / एमपीपीटीसीएल / 2035 जबलपुर,दिनांक 20.06.2016

प्रतिलिपि :–

1. कार्यपालक निदेशक (सीआरए) / (वित्त) / (अ.उ.दा.–सूधा. एवं निरी.) / (अउदा–निर्माण) म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) / (योजना एवं रूपांकन) / (परीक्षण एवं संचार) / (सिविल–ट्रांसमिशन) / (प्रोक्योरमेंट) म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. संयोजक सदस्य एवं मुख्य संपर्क अधिकारी फास्ट ट्रेक एक्शन समिति एवं आरक्षण प्रकोष्ठ म.प्र.पा. ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) / (अउदा–निर्माण) / (अउदा–संचारण) / 400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, / (मानव संसाधन विकास संस्थान) / सतर्कता म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...
5. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) / (संचार) / (अउदा–निर्माण) / (अउदा–संधारण) / (ट्रांस–भंडार) / 400 के.व्ही. उपकेन्द्र संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...
6. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. निज सचिव संबद्ध संचालक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
8. कंपनी सचिव / कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
9. आदेश फाइल।
10. वेब मास्टर–कंपनी की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यपालन अभियंता –तीन